भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.: 1398

उत्तर देने की तारीख: 28.07.2026

मैट्रिकोत्तर और मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति योजनाएं

1398. श्री कोटा श्रीनिवास पूजारी:
श्री तेजस्वी सूर्या:
श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोर :
श्री प्रदीप कुमार सिंह:
श्री भरतसिहंजी शंकरजी डाभी:
श्री योगेन्द्र चांदोलिया:
श्रीमती कमलेश जांगड़े:
श्री रमेश अवस्थी:
कैप्टन बृजेश चौटा:
श्री राधेश्याम राठिया:
श्री सुरेश कुमार कश्यप:
श्री जनार्दन मिश्रा:
श्री नव चरण माझी:
श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत:
श्री अभिमन्यु सेठी:
श्री बिभु प्रसाद तराई:
श्री विनोद लखमशी चावड़ा:
श्री खगेन मुर्मु:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) छत्तीसगढ़, कर्नाटक, दक्षिण कन्नड़ और दाहोद जिले और शिमला लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित देश में अनुसूचित जाति (एससी) के छात्रों और अन्य पात्र अनुसूचियों के लिए मैट्रिकोत्तर और मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों और छात्रों की छात्रवृत्ति के लिए निर्धारित वार्षिक लक्ष्य क्या हैं,

(ख) छत्तीसगढ़, शिमला लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र और दाहोद जिले में प्राप्त आवेदनों की संख्या, अनुमोदित और अस्वीकृत आवेदनों की संख्या सहित आने वाले आवेदनों का पता लगाने के लिए स्वचालित डैशबोर्ड के माध्यम से विशिष्ट आय पात्रता मानदंड की कहां तक निगरानी की गई है;

(ग) विगत पांच वित्तीय वर्षों के दौरान छत्तीसगढ़, कर्नाटक, दक्षिण कन्नड़ और गुजरात में दाहोद जिले सहित राज्य-वार और जिला-वार जारी की गई केंद्रीय समतुल्य सहायता की सीमा क्या है, तदनुरूपी आवंटन कितना है और लाभार्थियों की संख्या कितनी है; और

(घ) छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, विशेषकर शिमला लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित राज्य, जिला और वर्ष-वार कितने विशिष्ट लाभार्थियों को शामिल किया गया है और कितनी निधि प्रदान की गई और उसका कितना उपयोग किया गया है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री रामदास आठवले)

(क) से (घ): सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के माध्यम से अनुसूचित जातियों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति तथा अनुसूचित जातियों और अन्य के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति की केंद्र-प्रायोजित योजनाओं को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण मोड के माध्यम से क्रमशः 2021-22 और 2022-23 से लागू करता है। उपर्युक्त योजनाएं पूरे भारत में सभी मान्यता प्राप्त संस्थानों के पात्र छात्रों के लिए खुली और मांग आधारित हैं। मौजूदा योजना दिशा-निर्देशों के अनुसार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से वार्षिक कार्य योजना मांगी जाती है।

अनुसूचित जातियों (एससी) के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के तहत फंडिंग पैटर्न केंद्र और राज्य के बीच 60:40 (उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए 90:10) है। केंद्र और राज्य के बीच अनुसूचित जातियों (एससी) और अन्य के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति के तहत फंडिंग पैटर्न 60:40 (पूर्वोत्तर राज्यों, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के मामले में 90:10) है। बिना विधान मंडल वाले संघ राज्य-क्षेत्र के लिए 100% निधियां केंद्र द्वारा प्रदान की जाएंगी। केन्द्रीय हिस्सा जारी करना राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपने राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा भुगतान संबंधी आंकड़ों को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी) पर भेजने पर निर्भर करता है। उपर्युक्त योजनाओं के अंतर्गत पिछले पांच वर्षों के दौरान संवितरित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार छात्रवृत्ति **संलग्नक-I** में दी गई है। दक्षिण कन्नड़, दाहोद और शिमला जिलों के लिए जिला-वार डेटा **संलग्नक-II** में दिया गया है।

परिवर्तनकारी प्रभाव लाने के लिए योजनाओं में समय पर प्रदायगी, व्यापक जवाबदेही, निरंतर निगरानी और पारदर्शिता के लिए सुधार किए गए हैं। निधियों की अनियमितताओं और दुरुपयोग को समाप्त करने के लिए, भारत सरकार ने प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) की शुरुआत की, जिसके माध्यम से लाभ सीधे उनके आधार से जुड़े बैंक खातों में जारी किए जाते हैं जिससे निधियों का सरल और तेज प्रवाह होता है और लक्षित लाभार्थियों तक पहुंच सुनिश्चित होती है। पात्र छात्रों से आवेदन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा निर्दिष्ट ऑनलाइन राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल/राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से मौजूदा योजनाओं के दिशानिर्देशों

के तहत पात्रता के अनुसार आमंत्रित किए जाते हैं। कार्यान्वयन एजेंसी होने के नाते राज्य/संघ राज्य क्षेत्र आवेदन आमंत्रित करने, आगे की प्रक्रिया, सत्यापन और अन्य कार्यान्वयन पहलुओं के लिए उपयुक्त तंत्र के साथ आवेदनों के अनुमोदन और अस्वीकृति के लिए प्रमुख तौर-तरीकों का निर्धारत करते हैं।

संलग्नक-I

मैट्रिकोत्तर और मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति योजनाएं के संबंध में लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1398 जिसका उत्तर 28.07.2026 को दिया जाना है, के भाग (क) से (घ) में संदर्भित संलग्नक

(I). अनुसूचित जातियों (एससी) के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्तियां

(लाख रुपये में)

वित्तीय वर्ष		2021-22		2022-23		2023-24		2024-25		2025-26	
क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जारी की गई केन्द्रीय सहायता	लाभार्थियों की संख्या	जारी की गई केन्द्रीय सहायता	लाभार्थियों की संख्या	जारी की गई केन्द्रीय सहायता	लाभार्थियों की संख्या	जारी की गई केन्द्रीय सहायता	लाभार्थियों की संख्या	जारी की गई केन्द्रीय सहायता	लाभार्थियों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	29855	243823	37259	238915	20,049.99	195269	60571	303298	51352	345389
2	असम	-	-	920	11140	1,390.34	8426	874	12073	1813	23211
3	बिहार	-	-	3754	136340	2,129.34	68975	2397	73615	4518	120957
4	चंडीगढ़	154	899	242	876	59.25	287	270	1253	287	1095
5	छत्तीसगढ़*	2900	87464	4501	96267	3,613.57	79237	3996	87675	5360	96839
6	दमन और दीव	-	-	20	98	0		-	-	-	-
7	दिल्ली	-	-	1367	7531	997.34	3,160	2219	4692	2974	4950
8	गोवा	-	-	0.31152	1	4.31	34	8	58	0.91	7
9	गुजरात*	10258-	97697	22026	113531	38,423.12	1,79,116	39993	157584	28254	95585
10	हरियाणा	-	-	13158	87913	12,058.49	70,464	9489	55444	12791	55814
11	हिमाचल प्रदेश*	-	-	1760	21502	2,240.61	23,959	3564	33149	1800	13260
12	जम्मू और कश्मीर	3	100	543	10097	468.21	7,370	409	6567	419	6337
13	झारखंड	412	7805	1818	33922	3,139.39	44,610	4504	57784	3296	36966
14	कर्नाटक*	6542	131448	34200	458548	42,108.48	4,03,965	42290	404008	33422	259550
15	केरल	4578	90866	5682	42521	11,917.31	1,55,319	16070	147531	7260	70128
16	मध्य प्रदेश	828	48270	33505	445319	36,680.48	3,46,289	48674	636303	49342	409056
17	महाराष्ट्र	6301	68576	35942	148573	1,65,298.17	7,49,317	92992	362808	109580	397924
18	मणिपुर	-	-	734	8988	193.94	2,125	676	7938	436	5215
19	मेघालय	-	-	-	-	-	-	10	25	14	25
20	ओडिशा	7822	75530	33833	299369	12,744.10	1,43,861	18151	191873	31199	248213
21	पुडुचेरी	-	-	361	3904	285.47	2,564	320	2694	224	1588
22	पंजाब	20976	152157	6281	40708	28,486.98	1,99,508	41042	294284	52561	267057
23	राजस्थान	9567	217176	24138	303252	14,713.18	1,51,922	18059	229002	22073	318555
24	सिक्किम	-	-	76	448	52.29	216	44	172	54	250
25	तमिलनाडु	27888	441672	72625	543772	71,369.94	6,43,761	103209	934793	103494	966840
26	तेलंगाना	-	-	0	0	0		-	-	21379	69680
27	त्रिपुरा	-	-	3892	22278	4,093.43	16,858	5161	19849	5422	19538
28	उत्तर प्रदेश	53728	868554	92600	1269634	67,483.28	9,49,934	36602	644827	61764	645967
29	उत्तराखंड	-	-	1259	27735	1,293.69	23,804	1969	26216	2014	26242
30	पश्चिम बंगाल	11226	493099	6336	273953	6,248.09	2,68,228	2663	108693	5593	247182
	कुल	193038	3025136	438832.31	4647135	5,47,542.79	4738578	556226	4804208	618695.91	4753420

* उपर्युक्त आंकड़ों में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सभी जिले शामिल हैं, जिनमें क्रमशः कर्नाटक, गुजरात और हिमाचल प्रदेश के दक्षिण कन्नड़, दाहोद और शिमला लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लाभार्थी शामिल हैं।

(II) अनुसूचित जातियों (एससी) और अन्य के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति

(लाख रुपये में)

वित्तीय वर्ष		2021-22		2022-23		2023-24		2024-25		2025-26	
क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जारी की गई केन्द्रीय सहायता	लाभार्थियों की संख्या	जारी की गई केन्द्रीय सहायता	लाभार्थियों की संख्या	जारी की गई केन्द्रीय सहायता	लाभार्थियों की संख्या	जारी की गई केन्द्रीय सहायता	लाभार्थियों की संख्या	जारी की गई केन्द्रीय सहायता	लाभार्थियों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	5892	245595	0		5,614	2,21,219	2.88	116	6223	245253
2	असम	0	418	0		0	14	69.66	2233	114	3589
3	बिहार	7534	473106	1426.97	132127	1,576	1,46,660	335.00	31087	4045	295164
4	चंडीगढ़	36	1634	45.64	1304	38	1,097	30.51	874	14	420
5	छत्तीसगढ़	0	0	0		888	41,271	504.15	21123	487	21476
6	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	0	51	0.49	14	0	8	0.40	11	0.05	15
7	दिल्ली	699	3771	10.518	501	16	761	18.93	903	13	612
8	गोवा	0	29	0.126	6	0		0.16	8	0.0021	1
9	गुजरात*	5438	270489	1643.2161	77116	5,759	2,73,157	4282.41	201106	1991	91811
10	हरियाणा	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0
11	हिमाचल प्रदेश*	374	16759	0		770	24,536	284.92	9052	1130	35615
12	जम्मू और कश्मीर	23	13359	0		54	2,584	82.29	3923	90	4252
13	झारखंड	420	57745	0		0		1429.70	68230	1101	51921
14	कर्नाटक*	7658	271576	4202.499	200119	4,921	2,35,562	5831.21	278285	6786	322569
15	केरल	1092	61622	891.0048	42003	256	11,999	1820.58	85996	114	5318
16	मध्य प्रदेश	4737.2	355000	0	0	0	0	8100.06	368813	5048	226246
17	महाराष्ट्र	0	0	0	0	0	0	10.75	535	247	12363
18	मणिपुर	38	571	0	0	26	676	29.90	731	41	987
19	मेघालय			0	0			0.03	1	0	0
20	ओडिशा	2876	92329	645.708	29047	708	31,486	1820.25	80835	2759	127076
21	पुडुचेरी	82	1349	0		15	704	14.13	674	12	597
22	पंजाब	3551	196843	1950.438	92604	2,165	1,03,357	877.86	41793	4800	223663
23	राजस्थान	3673	240500	0		2,823	1,35,092	865.88	41298	2566	126993
24	सिक्किम	2	54	0		0	8	0.12	4	2	46
25	तमिलनाडु	6064	341246	2212.224	104324	7,056	3,35,642	10945.47	521124	12149	582684
26	तेलंगाना	221	26175	0	0	0	0	0	0	0	0
27	त्रिपुरा	30	10211	129.528	4075	67	2,105	193.50	6096	238	7370
28	उत्तर प्रदेश	3732	320390	6010.7103	373692	7,966	3,82,766	6280.38	299751	1922	91123
29	उत्तराखंड	469	14368	0		312	9,940	312.29	9916	322	10091
30	पश्चिम बंगाल	2377	223209	1624.056	77336	3,636	1,68,896	1948.48	91465	4022	191794
	कुल	**57018**	**3238399**	**20793.13**	**1134268**	**44,665**	**21,29,540**	**46091.92**	**2165983**	**56236**	**2679049**

संलग्नक-II

योजना के लिए आधार-आधारित भुगतान 2022-23 से शुरू हुए। अकादमिक वर्ष 2022-23 से 2025-26 के लिए दक्षिण कन्नड़, दाहोद और शिमला ज़िलों का डेटा:

I. अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति:

क्र.सं.	वर्ष	राज्य का नाम	जिले का नाम	लाभार्थियों की संख्या	केन्द्रीय सहायता (रुपये में)
1	2022-23	कर्नाटक	दक्षिणा कन्नड़	2772	17230140
		गुजरात	दाहोद	1164	22239934
		हिमाचल प्रदेश	शिमला	2668	15981854
2	2023-24	कर्नाटक	दक्षिणा कन्नड़	2930	37262560
		गुजरात	दाहोद	1039	21297672
		हिमाचल प्रदेश	शिमला	2668	15981854
3	2024-25	कर्नाटक	दक्षिणा कन्नड़	4344	70920729
		गुजरात	दाहोद	1200	26123036
		हिमाचल प्रदेश	शिमला	2870	23444009
4	2025-26	कर्नाटक	दक्षिणा कन्नड़	3911	68200660
		गुजरात	दाहोद	762	14828701
		हिमाचल प्रदेश	शिमला	2856	25539332
कुल				29,184	35,90,50,481

II. अनुसूचित जाति और अन्य के लिए प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति:

क्र.सं.	वर्ष	राज्य का नाम	जिले का नाम	लाभार्थियों की संख्या	केन्द्रीय सहायता (रुपये में)
1	2022-23	कर्नाटक	दक्षिणा कन्नड़	3574	7505400
		गुजरात	दाहोद	3555	7550310
		हिमाचल प्रदेश	शिमला	2104	6678000
2	2023-24	कर्नाटक	दक्षिणा कन्नड़	3699	7767900
		गुजरात	दाहोद	3015	6355860
		हिमाचल प्रदेश	शिमला	2104	6678000
3	2024-25	कर्नाटक	दक्षिणा कन्नड़	4224	8870400
		गुजरात	दाहोद	2276	4810050
		हिमाचल प्रदेश	शिमला	2539	8090145
4	2025-26	कर्नाटक	दक्षिणा कन्नड़	3250	6825000
		गुजरात	दाहोद	1795	3803280
		हिमाचल प्रदेश	शिमला	2049	6546015
कुल				34,184	8,14,80,360
